



बिहार सरकार

ई-मेल—arms.jeh.bih@gmail.com

वेबसाइट—jehanabad.bih.nic.in

दूरभाष / फ़ैक्स—06114-223142

ज्ञापांक— / शस्त्र

(जिला शस्त्र शाखा)

दिनांक—

समाहरणालय, जहानाबाद ।




आदेश

जहानाबाद जिला अन्तर्गत शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी के मृत्यु उपरांत उनके परिजन द्वारा मृत्यु प्रमाण-पत्र संलग्न करते हुए शस्त्र अनुज्ञप्ति रद्द करने एवं अनुज्ञप्ति पर धारित शस्त्र को जमा करने के लिए अनुरोध किया है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है—

| क्र 0 | मृत अनुज्ञप्तिधारी का नाम एवं पता | अनुज्ञप्तिधारी के मृत्यु की तिथि | शस्त्र अनुज्ञप्ति संख्या, धारित शस्त्र का प्रकार एवं संख्या | यू0 आई0 एन0 | शस्त्र जमा करने का स्थान | शस्त्र जमाकर्ता का नाम एवं पता * |
|-------|---|----------------------------------|---|----------------------------|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | स्व0 अंशुमान द्विवेदी, पिता— स्व0 वाचस्पति द्विवेदी, ग्राम— गोनसा, थाना— ओ0पी0 कल्पा | 08.04.2020 | Licence no- 568/681/552/ 525 O.P. Kalpa DBBL Gun no- 00306-49 | 0516400 0358528 2014 | ओ0पी0 कल्पा | नीरज कुमार द्विवेदी, पिता— स्व0 अंशुमान द्विवेदी, ग्राम— गोनसा, थाना— ओ0पी0 कल्पा |


जिला दण्डाधिकारी, जहानाबाद द्वारा आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 17—(3) डी0 एवं आयुध नियम—2016 के नियम—47 के अन्तर्गत निहित प्रावधानों के आलोक में संचिका सं0—III-1/16, दिनांक—11.06.20 में उपर्युक्त वर्णित शस्त्र अनुज्ञप्ति को तत्काल प्रभाव से रद्द किये जाने एवं इस पर धारित शस्त्र को आर्म्स एक्ट की धारा—21 (1) के तहत ओ0पी0 कल्पा (जहानाबाद) में जमा करने का आदेश पारित किया गया है। दिए गए आदेश के अनुरूप कॉलम—4 में अंकित शस्त्र अनुज्ञप्ति को रद्द किया जाता है एवं आवेदक को आदेश दिया जाता है कि उक्त अनुज्ञप्ति पर धारित शस्त्र कॉलम—6 में अंकित ओ0पी0 कल्पा में जमा करना सुनिश्चित करें।

(जिला दण्डाधिकारी, जहानाबाद का आदेश दिनांक—11.06.2020, संचिका सं0—III-1/16)


जिला शस्त्र दण्डाधिकारी,
जहानाबाद।

ज्ञापांक— 85 / शस्त्र, जहानाबाद, दिनांक— 11.06.20

- प्रतिलिपि :- सभी जिला दण्डाधिकारी बिहार राज्य को सूचनार्थ प्रेषित।
 प्रतिलिपि :- पुलिस अधीक्षक, जहानाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।
 प्रतिलिपि :- ओ0पी0 अध्यक्ष, कल्पा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
 प्रतिलिपि :- संबंधित शस्त्र जमाकर्ता को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
 प्रतिलिपि :- प्रभारी पदाधिकारी, NIC जहानाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
 प्रतिलिपि :- जिला आई0 टी0 प्रबंधक, जहानाबाद को वेबसाइट पर अपलोड करने एवं संबंधित पदाधिकारियों को ई-मेल भेजने हेतु प्रेषित।


जिला शस्त्र दण्डाधिकारी,
जहानाबाद।